

भारत स्काउट एवं गाइड मध्यप्रदेश, राज्य मुख्यालय  
शांति मार्ग, श्यामला हिल्स, भोपाल

website:www.bsgmp.net E\_bsgmadhyapradesh@gmail.com Phone ☎: 2661263, Fax: 2737446

क्र० / 10214 / रा०मु० / प्रशि.स्का. / 2014

भोपाल, दिनांक 25-7-14

प्रति,

- 1 जिला शिक्षा अधिकारी/सहायक आयुक्त (आ.वि.) पदेन  
जिला कमिश्नर (स्काउट) जिला -----
- 2 सहायक राज्य संगठन आयुक्त (स्काउट/गाइड)  
भारत स्काउट एवं गाइड मध्य प्रदेश  
संभागीय कार्यालय -----

विषय :-बेसिक रोवर लीडर प्रशिक्षण शिविर का आयोजन।

संदर्भ :-राज्य मुख्यालय के वार्षिक कार्यक्रम 2014-15 के कार्यक्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि जिलों में 10+2 विद्यालयों में रोवर स्काउट क्रू का गठन होकर रोवर स्काउटिंग की गतिविधिया सक्रिय रूप से संचालित हो सके इस हेतु राज्य स्तर पर वार्षिक कार्यक्रमांनुसार बेसिक रोवर लीडर प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है।

अतः अपने जिले के 10+2 शा./अशा.उ.मा.विद्यालय व स्वतंत्र दलों के शिक्षक/व्याख्याता बालक पोस्ट मेट्रिक छात्रावास अधीक्षक को सम्मिलित होने के आदेश करे एवं प्रतिभागियों के आवेदन दिनांक 07/08/2014 तक इस कार्यालय को प्रेषित करें।

शिविर का विवरण निम्नानुसार है :-

- शिविर का नाम - बेसिक रोवर लीडर प्रशिक्षण शिविर।
- स्थान - संभागीय प्रशिक्षण केन्द्र खरवई जिला रायसेन।
- अवधि - 20 अगस्त 2014 से 26 अगस्त 2014 तक।
- उपस्थित - 20 /8/2014 को प्रथम दिवस प्रातः 10:00 बजे तक अपनी उपस्थिति दें।
- कैसे पहुंचें - प्रशिक्षण केन्द्र खरवई पहुंचने के लिये भोपाल से रायसेन की ओर जाने वाली बस से खरवई प्रशिक्षण केन्द्र पर पहुंच सकते हैं। भोपाल से खरवई की दूरी लगभग 30 कि.मी. है।
- शुल्क - पंजीयन व विशेष शुल्क 100/- प्रति व्यक्ति शाला निधि से देय।  
शिविर शुल्क 525/- प्रति व्यक्ति स्वयं द्वारा देय।
- कोटा - प्रत्येक जिले से कम से कम 5 रोवर लीडर भाग लेंगे।
- कौन भाग लेगा - (1) शा./अशा./आदि.विकास, अनु.जाति विभाग, उ.मा.वि. के व्याख्याता / शिक्षक, पोस्ट मेट्रिक छात्रावास अधीक्षक, स्वतंत्र दलों के अप्रशिक्षित रोवर लीडर।  
(2) जिन्होंने जी.आई कोर्स(सामान्य सूचना शिविर) में भाग लिया हो।
- आवश्यक सामग्री - दो जोड़ी पूर्ण यूनिफार्म, स्कार्फ, वागल, काले जूते लेस वाले, काले मोजे, नायलेक्स स्काउट बेल्ट, पहनने बदलने के कपड़े, व्यक्तिगत प्रसाधन सामग्री, भोजन करने हेतु बर्तन, ओडोमास, व्यक्तिगत दवाईया, हल्का बिस्तर,, पेन, पेंसिल, नोटबुक, टार्च अन्य सामग्री अवश्यक्तानुसार साथ लावें।

नोट :-

शासकीय विद्यालय के शिक्षकों को नियमानुसार यात्रा भत्ते की पात्रता होगी। अशासकीय शिक्षकों को विद्यालय निधि से देय होगा। अनु.जाति छात्रावास के शिक्षकों को आदिवासी विकास विभाग जिल से प्राप्त अनुदान राशि से देय होगा।

अतः अपने जिले/संभाग से प्रतिभागिता सुनिश्चित कर सूची दिनांक 05/08/2014 तक अनिवार्यतः प्रेषित करें।

संलग्न – आवेदन पत्र ।


पृ.क्रमांक/10215/रा.मु./प्रशि./2014

प्रतिलिपि – सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

- 1 – आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश, भोपाल।
- 2 – आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग मध्य प्रदेश भोपाल।
- 3 – संयुक्त संचालक लोक शिक्षण संभागीय कार्यालय .....
- 4 – संभागीय उपायुक्त (आदिवासी विकास विभाग संभागीय कार्यालय .....
- 5 – जिला संगठनायुक्त (स्काउट/गाइड)/जिला प्रशिक्षण आयुक्त (स्काउट) जिला .....की ओर भेजकर लेख है कि जिले को आवंटित कोटे की पूर्ती आवश्यक रूप से करवायें।
- 6 – वार्डन, संभागीय प्रशिक्षण केन्द्र खरवई जिला रायसेन की ओर सूचनार्थ।

  
राज्य सचिव 25/7

भारत स्काउट एवं गाइड म.प्र.  
भोपाल, दिनांक 25-7-14

  
राज्य सचिव 25/7

भारत स्काउट एवं गाइड म.प्र.  
राज्य मुख्यालय – भोपाल

भारत स्काउट एवं गाइड म0प्र0, राज्य मुख्यालय, श्यामला हिल्स शांति मार्ग भोपाल

राज्य स्तरीय बेसिक प्रशिक्षण शिविर हेतु आवेदन फार्म

नाम शिविर .....

दिनांक ..... से ..... तक स्थान .....

1. जिले का नाम - .....
2. आवेदक का पूरा नाम - .....
3. संस्था का पूर्ण पता - .....  
.....जिला .....
4. व्यवसाय - .....
5. जन्म तिथि - ..... आयु .....
6. शैक्षणिक योग्यता - .....
7. स्काउटींग/गाइडींग योग्यता - .....
8. अन्य कोई योग्यता - .....

हस्ताक्षर संस्था प्रधान

आवेदक के हस्ताक्षर

अनुशंसा सहित अग्रेषित

ए.एस.ओ.सी. (स्का0/गा0)

डी.टी.सी (स्का0/गा0)

जिला - .....

जिला - .....

शिविर हेतु अनुशंसित

राज्य सचिव

एस.टी.सी. (स्का0/गा0)